—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 72/2024

उनवान

1. नौसर पत्नी रामकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री भियाराम चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. दिलीप सांखला पुत्र छगनलाल जाति मोची निवासी मोची मौहल्ला, नसीराबाद
3. पूसाराम पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 3 अनुपस्थित, 1 जरियें राज. पैरोकार
2 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 10.1.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 1244/3388, 1245, 1246, 1247 के मूल खातेदार हजारी पुत्र नन्दा का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 12.01.2016 को प्रार्थी द्वारा कय किया गया। उक्त आराजी का विभाजन सह खातेदारों के मध्य होने के बाद हाल खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.27 व 1584/1246 रकबा 0.0725 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। प्रार्थी को उसकी खातेदारी आराजी की वास्तविक सीमाज्ञान की जानकारी नही है। आरजी मुतनाजा के विभजन के बाद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को नाजायज परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आये दिन झगडा व फसाद करते है। अतः प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 2 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.27 व 1584/1246 रकबा 0.0725 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के ... भी करवाया गया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा ... विवाद है। अप्रार्थी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी कोई जवाब पेश नही किया गया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थी पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मोतीपुरा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.27 व 1584/1246 रकबा 0.0725 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested